अनुदान संख्या 12 - औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग
GRANT No. 12–DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	613,46,00	1048,59,00	1025,02,73	–23,56,27
पूरक	Supplementary	435,13,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				13,34,53
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
पूरक	Supplementary		5,00,00	4,90,00	–10,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''3451''	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	2420.00	2422.77	2222.30	–200.47
पु.	R.	2.77			
मुख्य शीर्ष ''2070''	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	1734.00	1569.60	1484.23	–85.37
पु.	R.	–164.40			

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)	
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	8999.00			
पु.	R.	–8999.00	. .	. .	. .
मुख्य शीर्ष ''2852'' उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	38637.00			
पू.	S.	277.00	27750.56	27575.99	–174.57
पु.	R.	–11163.44			
मुख्य शीर्ष ''2885'' उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Major Head "2885" Other Outlay on Industries and Minerals				
मू.	O.	3601.00			
पू.	S.	43235.00	67500.00	67399.00	–101.00
पु.	R.	20664.00			
मुख्य शीर्ष ''3475'' अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services				
मू.	O.	5955.00			
पू.	S.	1.00	4281.54	3821.21	–460.33
पु.	R.	–1674.46			

(I) 9602.00 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 9499.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''पिछड़े क्षेत्रों का विकास-आर्थिक सहायता - पूर्वोत्तर राज्यों को पैकेज'' - 8999.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित

(I) Provision of Rs.9602.00 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.9499.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" – "Development of Backward areas Subsidies - Package for North East States" – Rs.8999.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for

परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2885" - पिछड़े क्षेत्रों का विकास - आर्थिक सहायता - विकास केंद्र" - 500.00 लाख रु. कार्यान्वयन अभिकरणों से मांग प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग" के अंतर्गत 197.70 लाख रु. की बचत (2420.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(III) मुख्य शीर्ष "2070" - "विस्फोटक - पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन" के अंतर्गत 249.77 लाख रु. की बचत (1734.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के भरे न जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(IV) मुख्य शीर्ष "2852" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) "सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योग - अन्य - राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद" - 250.00 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीमों के मूल्यांकन के लिए अनुमोदन में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) "उपभोक्ता उद्योग - अन्य - नमक" - 2153.55 लाख रु. की बचत (3525.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित किराए को अनुमोदन प्रदान न किए जाने, अधीनस्थ कार्यालयों में निर्माण कार्य और नेटवर्किंग संबंधी कार्य के अनुमोदन को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) "सामान्य" -

(क) "औद्योगिक शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण" -

(i) "केंद्रीय गूदा और कागज अनुसंधान संस्थान" - 224.00 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के

utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "2885" – "Development of backward areas – Subsidies – Growth Centres" – Rs.500.00 lakhs – due to non-receipt of demand from the implementing agencies.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat – Department of Industrial Policy and Promotion" - saving of Rs.197.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2420.00 lakhs); and

(III) Under Major Head "2070"–"Explosives - Petroleum and Explosive Safety Organisation" – saving of Rs.249.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1734.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(IV) Under Major Head "2852" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Cement and Non-metallic Mineral Industries – Others - National Council for Cement and Building Materials" - saving of Rs.250.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to delay in approval for evaluation of the schemes.

(B) "Consumer Industries – Others - Salt" - saving of Rs.2153.55 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3525.00 lakhs) was due to non-approval of revised rent, non-finalisation of approval of works and networking in subordinate offices.

(C) "General" -

(a) "Industrial Education Research and Training" –

(i) "Central Pulp and Paper Research Institute" - saving of Rs.224.00 lakhs (against the sanctioned provision of

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं की वजह से स्कीम के मूल्यांकन में विलंब होने के कारण हुई।

(ii) ''भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ'' - 100.20 लाख रु. की बचत (304.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को अनुमोदन प्रदान करने में विलंब होने के कारण हुई।

(iii) ''केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान'' - 207.50 लाख रु. की बचत (1250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(iv) ''कागज गूदा और संबद्ध उद्योगों के लिए विकास परिषद'' - 125.00 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गूदा और संबद्ध उद्योगों और उपकर समिति विकास परिषद के अस्तित्व में न रहने के कारण हुई।

(ख) ''मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण'' -

(i) ''राष्ट्रीय अभिकल्प संस्थान'' - 205.78 लाख रु. की बचत (2025.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के मूल्यांकन में विलंब होने के कारण हुई।

(ii) ''भारतीय गुणवत्ता परिषद'' - 165.00 लाख रु. की बचत (240.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को अनुमोदन प्रदान किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(गा) ''अन्य व्यय'' -

(i) ''औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम'' - 6328.60 लाख रु. की बचत (18000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विशेष प्रयोजन वाहनों से मांग का अभाव होने की वजह से परियोजनाओं की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ii) ''राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद'' - 648.65 लाख रु. की बचत (850.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने और

Rs.400.00 lakhs) was due to delay in evaluation of the scheme owing to procedural formalities.

(ii) "Indian Rubber Manufacturer Research Association" - saving of Rs.100.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.304.00 lakhs) was due to delay in approval of the scheme.

(iii) "Central Manufacturing Technology Institute" - saving of Rs.207.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1250.00 lakhs) was due to non-approval of new projects.

(iv) "Development Council for Paper Pulp and Allied Industries" - saving of Rs.125.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to non-existence of Development Council for Pulp and Allied Industries and Cess Committee.

(b) "Standardisation and Quality Control" –

(i) "National Institute of Design" - saving of Rs.205.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2025.00 lakhs) was due to delay in evaluation of the scheme.

(ii) "Quality Council of India" - saving of Rs.165.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.240.00 lakhs) was due to delay in approval of the scheme.

(c) "Other Expenditure" –

(i) Industrial Infrastructure Upgradation Scheme" - saving of Rs.6328.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.18000.00 lakhs) was due to slow progress of projects owing to lack of demand from Special Purpose Vehicles.

(ii) "National Manufacturing Competitiveness Council" - saving of Rs.648.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.850.00 lakhs) was due to non- filling

चालू अध्ययनों के लिए अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब होने के कारण हुई।

(iii) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं संयुक्त उद्यम - भारत में एशिया उद्यम और निवेश संवर्धन क्रिया-कलाप" - 634.60 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ई-बिज परियोजना के लिए चयनित विक्रेताओं द्वारा मास्टर सेवा करार पर हस्ताक्षर न किए जाने और बिलों को देरी से प्रस्तुत किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3475" - "पेटेंटों, डिजाइनों और ट्रेडमार्कों का विनियमन - बौद्धिक संपदा कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण" के अंतर्गत 2343.94 लाख रु. की बचत (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना स्कीम को अनुमोदन प्रदान किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(VI) तीन शीर्षों के अंतर्गत 189.18 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक तथा स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत से 19 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (18844.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2007 और मार्च, 2008 में 43236.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2885" - "पिछड़े क्षेत्रों का विकास - आर्थिक सहायता - परिवहन आर्थिक सहायता" - 18594.00 लाख रु.।

(खा) मुख्य शीर्ष "3475" - "पेटेंटों, डिजाइनों और ट्रेडमार्कों का विनियमन - राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान" - 250.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 248.85 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2885" - "पिछड़े क्षेत्रों का विकास - आर्थिक सहायता" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) "केंद्रीय ब्याज आर्थिक सहायता स्कीम" - 1300.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

up of vacant posts and delay in receipt of approval of ongoing studies.

(iii) "International Co-operation & Joint Venture Asia Enterprises in India and Investment Promotion Activities" - saving of Rs.634.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to non- signing of Masters Service Agreement by the selected vendors for e-Biz project and late submission of bills.

(V) Under Major Head "3475" - "Regulation of Patents Designs and Trade Marks-Modernisation & Strengthening of Intellectual Property Office" - saving of Rs.2343.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs) was due to delay in approval of the plan schemes.

(VI) Under three heads savings of Rs.189.18 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 15 percent to 19 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.18844.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.43236.00 lakhs in August, 2007 and March, 2008 under the following major heads:-

(A) Major Head "2885" - "Development of backward areas – Subsidies - Transport Subsidy" - Rs.18594.00 lakhs.

(B) Major Head "3475" - "Regulation of Patents Designs and Trade Marks-National Institute of Intellectual Property Management" - Rs.250.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.248.85 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2885" – "Development of backward areas – Subsidies" – under the following heads:-

(A) "Central Interest Subsidy Scheme" - excess of Rs.1300.00 lakhs (against nil provision); and

(खा) "पूंजीगत निवेश आर्थिक सहायता'' - 1250.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(B) "Capital Investment Subsidy" - excess of Rs.1250.00 lakhs (against nil provision).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.